भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3536
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: नमो दीदी ड्रोन योजना

3536. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के प्रचालन हेतु निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;
(ड.) किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के चयन हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और
(च) यह योजना स्व-सहायता समूहों के लिए रोजगार सृजन में किस प्रकार सहायक होगी?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एस॰एच॰जी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत, आपूर्ति किए जाने वाले कुल 15,000 ड्रोन में से, लीड फर्टिलाइज़र कंपनियों (एलएफसी) ने अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके वर्ष 2023-24 में पहले 500 ड्रोन खरीदे तथा चयनित एस॰एच॰जी को वितरित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले चरण में 3090 एसएचजी को ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग (डी॰ओ॰आर॰डी) और उर्वरक विभाग (डी॰ओ॰एफ), डी॰ए॰वाई-एन॰आर॰एल॰एम के तहत संवर्धित महिला स्वयं सहायता समूहों और लीड फर्टिलाइज़र कंपनियों (एलएफसी) के संसाधनों को एकीकृत करके क्रियान्वित की जा रही है। विभिन्न विभागों और संस्थानों से लिए गए सदस्यों वाली राज्य-स्तरीय समिति ड्रोन उपयोग के लिए उपयुक्त क्लस्टरों के चयन, ड्रोन प्रदान करने के लिए पहचाने गए

क्लस्टरों में राज्यों में डी॰ए॰वाई-एन॰आर॰एल॰एम के तहत प्रगतिशील महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन, ड्रोन पायलट और ड्रोन सहायक प्रशिक्षण के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का चयन, जिला-वार ड्रोन उपयोग का आकलन, मौजूदा कमी की पहचान, ड्रोन उपयोग की उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताएं, एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों के समन्वय में चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय प्रदान करना/सुनिश्चित करना आदि के लिए जिम्मेदार है।

ड्रोन को पैकेज के रूप में आपूर्ति की जाती है, जिसमें इन महिला एसएचजी के सदस्यों में से एक के लिए अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और पोषक तत्व और कीटनाशक एप्लिकेशन हेतु कृषि उद्देश्य के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण भी शामिल है। एसएचजी के अन्य सदस्य/परिवार के सदस्य को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित करने का भी प्रावधान किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अक्टूबर 2024 में योजना के विस्तृत प्रचालनात्मक-दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।

इस योजना के अंतर्गत, किए जाने वाले हस्तक्षेपों का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय और आजीविका सहायता प्रदान करना है। स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए ड्रोन का उपयोग किसानों को लिकवीड फर्टिलाइज़र तथा कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किराये की सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया जाना है। एलएफसी को स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय प्रदान करने के लिए ड्रोन द्वारा नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। राज्य-स्तरीय समिति को एलएफसी और कीटनाशक कंपनियों के समन्वय में चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय प्रदान करने/सुनिश्चित करने का अधिकार है।

*****